न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 40/2021

अपीलांट

1. नगेन्द्रसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह जी, जाति राजपूत
2. नरेन्द्र कंवर पत्नि नरपतसिंह जी, जाति राजपूत
3. जवानवाराम पुत्र श्री मना जी जाति माली,
   निवासीगण आसाणा, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. फूलसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह
2. भोपालसिंह पुत्र सरदारसिंह,
3. बदली बेवा सरदारसिंह,
   जतियान भाट निवासीगण आसाणा, हाल भीनमाल।
4. हरिदेवी पुत्री सरदारसिंह एवं पत्नि नागसिंह
   जति भाट निवासी आसाणा हाल बोर तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
5. जे.सी.सी.बी. शाखा सायला
6. एसबीबीजे शाखा सायला

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार माली , विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01व 02
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/9/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा मुकदमा संख्या 21/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर अधिवक्ता गुणेशसिंह राजपुरोहित उपस्थित शेष रेस्पोडेण्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा आसाणा के खसरा नंबर 62, 63 व 106 कुल रकबा 60 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में खातेदारी का निवेदन किया , जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 18.09.2014 को अदम हाजिरी पैरवी में खारिज किया गया। उसके पश्चात दिनांक 16.10.2014 को वादी द्वारा रेस्टोर का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 23.03.2017 को स्वीकार किया वाद को रेस्टोर किया गया। तथा पत्रावली में वादी कि ओर से 23.03.2017 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 07.09. 2016 को वादी फूलसिंह का एक और शपथ पेश किया गया दिनांक 11.07.2017 को लिखित बहस प्रस्तुत कि गयी उक्त तमाम कार्यवाही दावा अदम हाजिरी में खारिज होने तथा रेस्टोर होने के दरमियान की गयी है। तथा दिनांक 23.03.2017 को एक ही आदेशिका में आदेश किये गये प्रतिवादी सरकार का जवाब दावा 23.'02.2017 को पेश हुआ है जबकि 23.02.2017 की आदेशिका रेस्टोर प्रार्थना में चली है मूल प्रकरण में 23. 02.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है क्योकि दिनांक 18.09.2014 के बाद सीधी 23.03.2017 की आदेशिका लिखि गयी है तो सरकार द्वारा किस सुनवाई दिवस पर जवाब दावा प्रस्तुत किया संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में उक्त तमाम कार्यवाही रेस्टोर प्रार्थना में की गई है उक्त मूल दावा में रेस्टोर प्रार्थना पत्र की कोई कार्यवाही नही कि गयी है। तथा 23.03.2017 को प्रतिवादी का जवाबदावा बंद कर साक्ष्य भी उसी रोज बंद कर दी गयी तथा दिनांक 29.03.2017 से उक्त पत्रावली दिनांक 28.06.2021 तक बहस में चली जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ से रोशन है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को विधिवत् सुनवाई कर एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। तथा रेस्पोडेण्ट्स ने पूर्व में इसी आराजी बाबत् एक म्यूटेशन की अपील इन्ही पक्षकारों के खिलाफ चली थी उक्त तथ्यों को छूपा कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नया दावा पेश किया जो कानूनन रेस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है तथा अपीलान्ट के बुजुर्गान के नाम उक्त आराजी 13.11.1962 से खातेदारी में दर्ज है तथा वर्तमान अभिलेख में उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज है इसलिये खातेदार के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा भी कानुनन जारी नही की जा सकती इसलिए भी जैर पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा आसाणा के खसरा नंबर 62, 63 व 106 कुल रकबा 60 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थाईनिषेधाज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की है। जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा आसाणा के खसरा नंबर 62, 63 व 106 कुल रकबा 60 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का घोषणा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 07.07.2021 को जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज कर पत्रावली दिनांक दिनांक 18.09.2014 को अदम हाजिरी पैरवी में खारिज किया गया। उसके पश्चात दिनांक 16.10.2014 को वादी द्वारा रेस्टोर का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दिनांक 23.03.2017 को स्वीकार किया वाद को रेस्टोर किया गया। तथा पत्रावली में वादी कि ओर से 23.03.2017 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 07.09.2016 को वादी फूलसिंह का एक और शपथ पेश किया गया दिनांक 11.07.2017 को लिखित बहस प्रस्तुत कि गयी उक्त तमाम कार्यवाही दावा अदम हाजिरी में खारिज होने तथा रेस्टोर होने के दरमियान की गयी है। तथा दिनांक 23.03.2017 को एक ही आदेशिका में आदेश किये गये प्रतिवादी सरकार का जवाब दावा 23.'02.2017 को पेश हुआ है जबकि 23.02.2017 की आदेशिका रेस्टोर प्रार्थना में चली है मूल प्रकरण में 23.02.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है क्योकि दिनांक 18.09.2014 के बाद सीधी 23.03.2017 की आदेशिका लिखि गयी है तो सरकार द्वारा किस सुनवाई दिवस पर जवाब दावा प्रस्तुत किया संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में उक्त तमाम कार्यवाही रेस्टोर प्रार्थना में की गई है उक्त मूल दावा में रेस्टोर प्रार्थना पत्र की कोई कार्यवाही नही कि गयी है। तथा 23.03.2017 को प्रतिवादी का जवाबदावा बंद कर साक्ष्य भी उसी रोज बंद कर दी गयी तथा दिनांक 29.03.2017 से उक्त पत्रावली दिनांक 28.06.2021 तक बहस में चली जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ से रोशन है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए बिना अपीलाण्ट को सुनवाई व जवाब का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट्स के रेस्टोर प्रार्थना पत्र बाबत् कोई जवाब एवं बहस अपीलाण्ट की नहीं सुनी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र एक पेशी की आदेशिका में समस्त आदेश पारित कर अतिंम बहस हेतु दिनांक 23.03.2017 को पत्रावली नियत कर दिनांक 07.07.2021 आनन–फानन में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी सायला द्वारा मुकदमा संख्या 21/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2021 को अपास्त कर निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानो की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 22/9/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली